

राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

- 1.अपील संख्या 1916 / 2012 / जयपुर
- 2.अपील संख्या 1917 / 2012 / जयपुर
- 3.अपील संख्या 1918 / 2012 / जयपुर

मैसर्स ए वन एण्टरप्राइजेज  
जयपुर

बनाम

अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन,घट—तृतीय, जोन—प्रथम,जयपुर

प्रत्यर्थी

4.अपील संख्या 2228 / 2012 / जयपुर

5.अपील संख्या 2229 / 2012 / जयपुर

6.अपील संख्या 2230 / 2012 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक अधिकारी

प्रतिकरापवंचन,घट—तृतीय, जोन—प्रथम,जयपुर

बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स ए वन एण्टरप्राइजेज

जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य  
श्री मोहन लाल नेहरा,सदस्य

उपस्थित :

श्री विवेक सिंघल

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

व्यवहारी की ओर से

विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक 30.01.2016

निर्णय

उपरोक्त छ: अपीलों में से अपील संख्या 1916 / 2012 से 1918 / 2012 / जयपुर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से एवं अपील संख्या 2228 / 2012 से 2230 / 2012 / जयपुर तक प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 304, 305 एवं 306 / आरवैट / 11-12 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 07.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन—प्रथम,जयपुर (जिसे आगे “ कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 25(1), 55 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के पारित पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.02.2012 के जरिये कायम कर, अनुवर्ती ब्याज व आरोपित शास्तियों में से निम्न तालिका आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज की पुष्टि करते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। यथावत रखे गये कर एवं ब्याज के विरुद्ध व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 1916 / 2012 से 1918 / 2012 / जयपुर एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त करने के विरुद्ध विभाग की ओर से अपील संख्या 2228 / 2012 से 2230 / 2012 / जयपुर प्रस्तुत की गई है :—

५२

-2-अपील संख्या 1916 से 1918 / 2012 व 2228 से 2230 / जयपुर

अपील. सं.	कर निर्धारण अवधि	कर	ब्याज	शास्ति धारा 61
1616 / 12	2009—10	21849/-	3063/-	43698/-
1617 / 12	2010—11	409659/-	65545/-	819318/-
1618 / 12	2011—12	230801/-	11540/-	461602/-

चूंकि सभी छ: अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु समान हैं। अतः समस्त अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2011 को किया गया था, जिसमें पाया गया कि व्यवहारी ने subway की फेन्चाइजी ली हुई है। व्यवहारी subway brand से सेण्डविच, फुटलॉग, कुकीज, कोल्डड्रिंक्स, कोल्डकॉफी व आईस टी इत्यादि बनाकर विक्रय किया जाता है, जिस पर वह 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहीत करता है। सर्वेक्षण के समय यह भी पाया गया कि व्यवहारी ने कोल्डड्रिंक्स की बिक्री अन्य आईटम्स के साथ की है, जिस पर भी 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहीत किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा foot long, sandwich and cookies की गई बिक्री को subway को Registered trademark के तहत की गई होने के कारण fast food Branded bakery products मानकर नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश क्रमांक: 08.02.2012 पारित कर सेण्डविच, फुट/हॉफलॉग, कुकीज व कोल्डड्रिंक्स की बिक्री पर 9 प्रतिशत की दर से उपरोक्त तालिका के अनुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी एक रेस्टोरेन्ट है तथा रेस्टोरेन्ट में खाने योग्य खाद्य सामग्री (eatable/food) का निर्माण करके विक्रय करता है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(22)एफ.डी./टैक्स 10—81 एवं एफ 12(22)एफ.डी./टैक्स 10—87 दिनांक 09.03.2010 के अनुसार Dealer selling food item cooked by him and served in restarunt पर 5 प्रतिशत से अधिक कर देयता को कर मुक्त किया गया है, तदनुसार व्यवहारी अपनी रेस्टोरेन्ट में बनाई गई खाद्य सामग्री (फूड) यथा सैण्डविच, फुट लांग, आईस टी आदि पर 5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त वस्तुओं की बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर दर से करारोपण किया है, जो अनुचित एवं आधारहीन है।

2

उन्होंने आगे बताया कि subway किसी भी प्रकार के बेकरी प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड ब्रान्ड नहीं है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा subway को बेकरी उत्पाद का रजिस्टर्ड ब्रान्ड मानकर कार्यवाही करना अविधिक होने के साथ अनुचित भी है। उनका कथन है कि व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये सैण्डविच, फुटलॉग (एक फीट लम्बी ब्रेड) आदि ब्रेड ही हैं, जो अधिनियम की अनुसूची—। के क्रमांक 34 व सलाद आदि वेजीटेबल होने के कारण अधिनियम की अनुसूची—। के क्रमांक 18 के अनुसार कर मुक्त है। उन्होंने कथन किया कि ब्रेड का निर्माण होने के पश्चात उनको काटकर उसमें वैज/नानवैज आदि लगाने के बाद उसका ओवन/टोस्टर आदि में रखकर बैंकिंग/रोस्टिंग नहीं किया जाता है न ही सॉस आदि मिलाने की कोई विधि subway द्वारा की जाती है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी का यह निर्वचन सही नहीं है कि व्यवहारी द्वारा अपने दायित्व का कम करने के उद्देश्य से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 के तहत बताया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल ने कथन किया कि कुकड़ फूड की परिभाषा काफी विशद है इसमें पांच आईटम्स को ही डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि कर कहीं भी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कुकड़ फूड के सन्दर्भ में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सैण्डविच, फुटलॉग एवं कुकीज न केवल बैकड खाद्य पदार्थ हैं बल्कि फूड (भोजन) हैं और व्यवहारी इनका रेस्टोरेन्ट में निर्माण करता है। उन्होंने यह भी बताया कि सैण्डविच व फुटलॉग आदि ब्रेड ही हैं, जो कर मुक्त हैं। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में मैसूर सेल्स कारपोरेशन बनाम असिस्टेन्ट कमिशनर आफ एन्ट्री टैक्स, असेसमेन्ट-1, गांधी नगर, बंगलौर के प्रकरण में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय (1991) 078 एस टी सी 0185 निर्णय दिनांक 19.01.1990 को उद्धृत किया, सारगमित अंश इस प्रकार है :-

"It is well-settled that later amendment to a statute may be taken as a guide in the interpretation of a provision as it stood before the amendment :"

उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किये जाने एवं उसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को अविधिक बताते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर कर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपीलों अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा foot long, sandwich and cookies का निर्माण किया जाकर विक्रय किया जाता है। उनका कथन है कि उक्त आईटम्स विशिष्ट रूप से subway द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट बेलनाकार आटे से बनते हैं तथा subway द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया से उक्त कार्य के लिए निर्मित मशीनों से उक्त बैकड खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं व निर्धारित रीति से ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। उनका कथन है कि उक्त आईटम्स के निर्माण की प्रक्रिया को कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश पेज संख्या 4 पर उधृत किया गया है। उनका कथन है कि व्यवहारी द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 12(22)एफ.डी./टैक्स 10-81 एवं एफ 12(22)एफ.डी./टैक्स 10-87 दिनांक 09.03.2010 food cooked and served in restarunt and hotel below 3 star

category जो 5 प्रतिशत कर दायित्व के सम्बन्ध में है, का व्यवहारी अनुचित सहारा ले रहा है क्योंकि यह अधिसूचना केवल food cooked के सम्बन्ध में है जबकि व्यवहारी का उत्पाद तो Bakery Product है। अतः यह अधिसूचना व्यवहारी के उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होती है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण आदेश में subway के सम्बन्ध में एवं उसके द्वारा निर्मित आईटम्स के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के पश्चात उस पर 14 प्रतिशत की दर कर देयता मानते हुए अन्तर कर 9 प्रतिशत से आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि सामान्य व्यवहार, सामान्य बोलचाल तथा दैनिक उपयोग में सेंडविच, फुल/हॉफलॉक/कूकीज को बैकरी प्रोडक्ट “पकाया हुआ भोजन”(Cooked food) नहीं माना जाता है व वरन् Fast food माना जाता है और जो वस्तु ओवन में पकायी जाती है वह baked/restored वस्तु मानी जाती है, लोग इसे फास्ट फूड के रूप में ही जानते हैं। उनका कथन है कि ऑक्सफोर्ड डिव्हिशनरी आफ इंगलिश के अनुसार सेंडविच का अर्थ आमतौर पर ब्रेड के दो पीसेज के मध्य किसी प्रकार की फिलिंग भरने से है। यह फिलिंग भिन्न-भिन्न चीजों की हो सकती है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में फिलिंग के रूप में नॉनवेज या वेज पेटीज प्रयोग की जाती है तथा सेंडविच बनाने की प्रक्रिया के दौरान उक्त पेटीज को अन्य सामग्री के साथ ब्रेड के पीसेज मध्य रखा जाकर टोस्ट किया जाता है, जिससे एक भिन्न उत्पाद बनता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थीन आदेश में विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उन्होंने शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया कि व्यवहारी ने ब्राण्डेड बैकरी प्रोडक्ट्स कोल्डकॉफी व आईस टी की बिक्री कम कर दर से की है जबकि विधि में स्पष्ट प्रावधान है। उनका कथन है कि व्यवहारी ने जानबूझकर व सचेत मस्तिष्क से कर दर की विवेचना गलत प्रकार से कर अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 की आड में परिवर्जन किया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्त्रियों को उचित बताते हुए अपीलीय अधिकारी के शास्ति के बिन्दु पर अपास्त करने का निवेदन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों में उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार व्यवहारी subway brand से सेंडविच, फुटलॉग, कुकीज, कोल्डड्रिंक्स, कोल्डकॉफी व आईस टी इत्यादि बनाकर विक्रय किया जाता है, जिस पर वह 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहीत करता है। सर्वेक्षण के समय यह भी पाया गया कि व्यवहारी कोल्डड्रिंक्स की बिक्री अन्य आईटम्स के साथ की है, जिस पर भी 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहीत किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी बिक्री वस्तुएं 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने उन्हें 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर उस पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है।

प्रकरणों में आलोच्य अवधियों में सेण्डविच, फुटलॉग, कुकीज, कोल्डड्रिंक्स, कोल्डकॉफी व आईएस टी आदि वस्तुओं की गई बिक्री पर कर की दर का प्रश्न विवादित है। अपीलार्थी व्यवहारी का कथन है कि वह एक रेस्टोरेन्ट का उद्यम है तथा रेस्टोरेन्ट में eatable/food का निर्माण करके विक्रय करता है। जहां तक यह प्रश्न है कि 'फूड' की परिभाषा क्या है यह कहना समीचीन होगा कि फूड एक विस्तृत शब्द है और इसका अर्थ सामान्य बोलचाल एवं क्षेत्र विशेष जहां यह उपभोग किया जा रहा है वहां के लोग जिस वस्तु को फूड के रूप में मानते हुए उस वस्तु से लिया जाना चाहिए क्योंकि समाज के विभिन्न भागों में भू-भौतिकीय परिस्थितियों के आधार पर भोजन की आदते भिन्न-भिन्न होती हैं। भारत में सामान्य बोलचाल में फूड का अर्थ आग पर पकाया हुआ भोजन जैसे सब्जी, रोटी, चावल एवं करी आदि से हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि क्या आपने भोजन (फूड) कर लिया है तो उसका आशय यह मानता है कि चावल, करी, सब्जी एवं रोटी ग्रहण कर ली है परन्तु कोई व्यक्ति रेस्टोरेन्ट में जाता है और सेण्डविच, फुटलॉग, कुकीज, कोल्डड्रिंक्स, कोल्डकॉफी व आईएस टी आदि मांगता है तो उसका तात्पर्य कुकड़ फास्ट फूड से होता है। आमजन जब खाना मांगता है तो उसे सेण्डविच, फुटलॉग, कुकीज, कोल्डड्रिंक्स, कोल्डकॉफी व आईएस नहीं परोसा जाता है। इसलिए इसे 'कुकड़ फूड लाईक' शब्द युग्म से परिभाषित किया जा सकता है, जिस पर 14 प्रतिशत की कर देयता ही कायम होगी।

उक्त विषय के सम्बन्ध में विद्वान अपीलीय अधिकारी ने न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण उद्धरित करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :—

"अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत आईटम्स सेंडविचेज, फुटलॉग व कुकीज अनुसूची चतुर्थ (अधिसूचना दिनांक 09.03.10द्वारा) के अन्तर्गत "dealers selling food items cooked by him in the restaurants and hotels below three star category" कवर होते हैं, पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में कुकड़ फूड के विषय में विवेचन किया जाना प्रासंगिक होगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त स्टेट आफ बॉर्डे बनाम वीर कुमार गुलाब चन्द शाह ए आई आर 1952 एससी 335 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :—

"So far as food is concerned, it can be used in a wide as well as narrow sense and in my opinion, much depend upon the context and back ground. Even in a popular sense, when one asks another. "have you had your food?", one means the composite preparation which normally goes to constitute a meal—curry and rice, sweet meats, pudding, cooked vegetables and so forth. One does not usually think separately of the different preparations which enter into their making....."

उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने "फूड" के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक "फूड" का सवाल है यह सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों की सोच व पृष्ठ भूमि के आधार पर निर्भर करता है कि वे किस वस्तु को फूड मानते हैं। यहां पर जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि क्या आपने फूड कर लिया है तब यहां उस भोजन से आशय जिसमें चावल, करी, मिठाई, सब्जी एवं रोटी आदि शामिल होने से है। कोई व्यक्ति इस सोच से हटकर सामान्य रूप से नहीं सोचता है।

tm

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स अन्नपूर्णा बिस्किट मैन्यूफैक्चरिंग बनाम कमिशनर आफ सेल्स टैक्स यूपी. (1981) ए आई आर 1656 निर्णय दिनांक 28.07.1981 में अभिनिर्धारित किया है कि :-

"What is of significance in this case is that the Hindi version of the notification issued uses the expression cooked (pakaya hua bhojan) for 'cooked food' found in the notification in English language. It is a well settled rule of construction that the words used in a law imposing a tax should be construed in the same way in which they are understood in ordinary parlance in the area in which the law is in force."

इसी प्रकार माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त कमिशनर आफ सेल्स टैक्स बनाम श्री बल्लभदास ईश्वरदास (1968) 21 एसटीसी 309 में कुकड़ फूड के विषय में विवेचन किया है :-

"When one talks of food or cooked food what one means is that which one takes into the system to maintain life growth to supply nourishment in a wide sense food would no doubt include everything that is eatable. But in common parlance "cooked food" means those things which one eats at regular times of the day at breakfast dinner or supper."

इस प्रकार फूड एक विस्तृत शब्द है किन्तु इसका अर्थ सामान्य बोलचाल एवं क्षेत्र विशेष जहां उपभोग किया जा रहा है वहां के लोग जिस वस्तु को फूड के रूप में मानते हैं उस वस्तु से लिया जाना चाहिए क्योंकि समाज कि विभिन्न भागों में भूमौतीकीय परिस्थितियों के आधार पर भोजन की आदतें भिन्न होती हैं। भारत में सामान्य बोलचाल में फूड का अर्थ आग पर पकाया हुआ भोजन जैसे सब्जी, रोटी, चावल, करी, मिठाई आदि से है। यह सभी वस्तुएं मुख्यतः चूल्हे या गैस पर पकायी जाती हैं।

अपीलार्थी का तर्क है कि सेंडविच व फुटलॉग बेकरी उत्पाद न होकर कुकड़ फूड की श्रेणी के आईटम्स हैं। फुटलॉग 'सबवे' द्वारा बिक्रीत पश्चिमी देशों में प्रचलित सबमेरीन सेंडविच है जिसका आकार आम सेंडविच से बड़ा होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के अनुसार 'सेंडविच' का अर्थ निम्नानुसार है :-

"an item of food consisting of two pieces of bread with a filling between them, eaten as a light meal: a ham sandwich"

इस प्रकार सेंडविच का अर्थ आमतौर पर ब्रेड के दो पीसेज के मध्य किसी प्रकार की फिलिंग भरने से है। यह फिलिंग भिन्न-भिन्न चीजों की हो सकती है। कर निर्धारण आदेश, रिकॉर्ड व पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपीलार्थी के प्रकरण में फिलिंग के रूप में नॉनवेज या वेज पेटीज प्रयोग की जाती है। सेंडविच बनाने की प्रक्रिया के दौरान उक्त पेटीज को अन्य सामग्री के साथ ब्रेड के पीसेज के मध्य रखा जाकर टोस्ट किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा सेंडविचेज बनाने हेतु प्री-कुकड़ वेज व नॉनवेज पेटीज का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें ब्रेड के पीसेज के मध्य अन्य सामग्री के साथ रखा जाकर टोस्ट किया जाता है जिससे कि एस भिन्न उत्पाद बनता है जो ओवन या टोस्टर में बेक या टोस्ट करने के पश्चात् उपभोग करने के काम आता है। फूड का अर्थ जैसा कि उपरोक्त विवेचन किया गया है सामान्य तौर पर स्थान विशेष के लोगों द्वारा भोजन के रूप में खाने से हैं। अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत आईटम सेंडविचेज व फुटलॉग को मुख्यतः ओवन में गर्म कर या बेक कर बनाया जाता है तथा सामान्य रूप में लोग इसे फूड के रूप में नहीं मानते हैं।

उपरोक्त किये गये विवेचन व विभिन्न न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सेंडविचेज व फुटलॉग को कुकड़ फूड की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः उक्त उत्पाद अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 से कवर नहीं होते अतः उक्त प्रोडक्ट्स को अनुसूची पंचम के अनुसार कर योग्य होना अभिनिर्धारित किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस विन्दु पर आरोपित अंतर कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है।"

-7-अपील संख्या 1916 से 1918 / 2012 व 2228 से 2230 / जयपुर

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत निर्णय जोकि मैसूर सेल्स कारपोरेशन बनाम असिस्टेन्ट कमिशनर एन्ड्री टैक्स, असेसमेन्ट-1, गांधीनगर, बंगलौर (1991)078 एस टी सी 0185 दिनांक 19.01.90, के प्रकरण में दिया है, से अपीलार्थी व्यवहारी को सहायता प्राप्त नहीं होती है, क्यांकि यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रांसिगिक नहीं है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा निर्मित व बिकीत वस्तुओं के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धृत करते हुए समग्र रूप से विवेचन के पश्चात सेंडविचेज व फुटलॉंग को कुकड़ फूड की श्रेणी में नहीं मान कर यह अभिकथन किया है कि 'फूड' का अर्थ जैसा कि उपरोक्त विवेचन किया गया है सामान्य तौर पर स्थान विशेष के लोगों को भोजन के रूप में खाने से है। अपीलार्थी द्वारा बिकीत आईटम सेन्डविचेज व फुटलॉंग को मुख्यतः ओवन में गर्म कर या बेक कर बनाया जाता है तथा सामान्य रूप में लोग इसे फूड के रूप में नहीं मानते हैं।"

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज की पुष्टि की है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अन्तर कर एवं ब्याज पर पारित किये गये आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

जहां तक अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के बिन्दु पर विभाग की ओर से अपीलें प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहारों का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में किया गया है तथा सभी संव्यवहारों को बिकी विवरण पत्रों में घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 को उद्धृत किया गया है, जिसमें मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं, तो मैलाफाईड इरादे के अभाव में शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये गये समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में इसी तथ्य के आधार पर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जिसमें कोई अविधिकता नजर नहीं आती है। फलस्वरूप अधिनियम की धारा 61 के बिन्दु पर आरोपित शास्तियों का अपास्त किये जाने के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई तीनों अपीलें स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

४३  
(एम.एल.नेहरा)  
सदस्य

(सुनील शर्मा)  
सदस्य